भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 174
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों का निरीक्षण

***174. श्री के. गोपीनाथ:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में 241 लोगों की मौत के बाद सभी 787-ड्रीमलाइनर विमानों का निरीक्षण/जांच करवाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांचों/निरीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने विमानन कंपनियों को अपने सभी विमानों की सुरक्षा जांच/निरीक्षण करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विमानन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"विमानों का निरीक्षण" के संबंध में श्री के. गोपीनाथ द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 174 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): दिनांक 12.06.2025 को एअर इंडिया उड़ान एआई-171 बोइंग 787 विमान दुर्घटना के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन को सभी 787-ड्रीमलाइनर विमानों की जांच/निरीक्षण करने हेतु आदेश जारी किया। एअर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग 787-8/9 विमान थे। एयरलाइन द्वारा सभी 33 विमानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान 8 विमानों में मामूली खामियां पाई गईं। इन विमानों को खामियां ठीक करने के उपरांत परिचालन के लिए भेज दिया गया था।

नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान के सुरक्षित परिचालन और इसके रखरखाव के लिए व्यापक नागर विमानन विनियम निर्धारित किए हैं। इन विनियमों को लगातार अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)/यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। नागर विमानन महानिदेशालय ने, अपने विमानों की सतत उड़नयोग्यता के प्रबंधन के लिए एयरलाइन के सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन संगठन (सीएएमओ) को मंजूरी दी है। तदनुसार, एयरलाइनें नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित विमान रखरखाव कार्यक्रम (एएमपी)/विनिर्माता दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित रखरखाव संगठन (एएमओ) के माध्यम से विमान का रखरखाव करती हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय के पास एक संरचित निगरानी और संपरीक्षा फ्रेमवर्क विद्यमान है, अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों के नियमित और आवधिक ऑडिट, औचक जांच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो नागर विमानन महानिदेशालय अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

नागर विमानन महानिदेशालय सभी एयरलाइनों द्वारा रिपोर्ट किए गए रखरखाव डाटा और बार-बार होने वाली खामियों की बारीकी से निगरानी और समीक्षा कर रहा है। प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विमान में बार-बार आनी वाली खामियों/कठिनाइयों के लिए सभी अनुसूचित एयरलाइनों के विमानों का विश्लेषण किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने 'विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का आंकलन करने और विमानन संरक्षा आर्किटेक्चर संवर्धित करने के लिए व्यापक विशेष संपरीक्षा' शीर्षक से 19 जून, 2025 को सामान्य सुरक्षा परिपत्र 01/2025 भी जारी किया है।

*****